



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**01-03-2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने दिनांक 28.02.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स मां बिजासेन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल ने दिनांक 28/02/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरके सिन्हा (तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, मुरैना, शाखा, मध्य प्रदेश), रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा, (मेसर्स मां बिजासेन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनर), श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी रविन्द्र कुमार शर्मा (मेसर्स मां बिजासेन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्टनर) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

बैंक, मुरैना शाखा) और मेसर्स मां बिजासेन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के भागीदारों ने फर्जी वेयरहाउस रसीदों (डब्ल्यूएचआर) के आधार पर धोखाधड़ी से बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए मिलीभगत की। इन कार्रवाइयों के कारण यूको बैंक को **9.65 करोड़ रुपये** का गलत नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की पर्याप्त आय (पीओसी) उत्पन्न हुई। इससे पहले, ईडी ने सितंबर 2023 में जारी अनंतिम कुर्की आदेश के तहत 4.08 करोड़ रुपये की पीओसी कुर्क की थी और इसकी पुष्टि विद्वान न्याय निर्णय प्राधिकरण (पीएमएलए) नई दिल्ली द्वारा भी की गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।